76

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 1223-चार/2008 - विरूद्ध आदेश दिनांक 24-9-2008- पारित द्वारा - अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण क्रमांक 391/2007-08 निगरानी

रामसजीवन लोहर पुत्र सुदर्सन ग्राम दुआरी कोटार
तहसील रामपुर वाघेलान जिला सतना ---आवेदक

विरूद्ध

1- सियाशरण पुत्र शिववालक सिंह
2- रामशुभ सिंह मृतक पुत्र सहदेव सिंह वारिस
(वारिसान की जानकारी प्रस्तुत नहीं)
3- लहुरहाई कोल पुत्र शिवनाथ
4- रामस्वरूप पुत्र मैका कोल
5- श्यामलाल पुत्र चैता कोल
6- महेश पुत्र कलुआ कोल
7- रामसुन्दर सिंह पुत्र चिंतामणि सिंह
8- बालमीक पुत्र रामहित लोहार
9- रामसजीवन पुत्र भगवानदीन सिंह
10- भेलासिंह पुत्र चिंतामणि सिंह
11- जगेश्वरसिंह पुत्र रामनिरजंन सिंह
12- वृजेन्द्र सिंह पुत्र रामनिरंजन सिंह
सभी ग्राम दुआरी कोठार
तहसील रामपुर वाघेलान जिला सतना ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)

(अनावेदक 1,3, से 13 के अभिभाषक श्री लखन सिंह धाकड़)

आ दे श

(आज दिनांक 08-03-2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 391/2007-08 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 24-9-2008 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक क-1 ने कलेक्टर सतना को आवेदन देकर बताया कि मौजा दुआरी कोठर की भूमि सर्वे नंबर 100 रकबा 0.61 एकड़ पर आवेदक ने अपने नाम गलत इन्द्राज कराया है इसलिये इन्द्राज दुरूस्त किया जावे। कलेक्टर सतना ने प्रकरण क्रमांक 28/2007-08 स्वमेव निगरानी पॅजीबद्ध किया तथा अनावेदक क-1 का आवेदन जांच प्रतिवेदन हेतु अनुविभागीय अधिकारी रामपुर वाघेलान को प्रेषित किया, जिस पर से अनुविभागीय अधिकारी रामपुर वाघेलान ने नायव तहसीलदार रामपुर वाघेलान से जांच कराई। नायव तहसीलदार रामपुर वाघेलान ने जांच कर प्रतिवेदन दिनांक 29-12-2007 अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर सतना को प्रस्तुत किया। कलेक्टर सतना ने हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 8-7-2008 पारित किया तथा निगरानी स्वीकार कर मौजा दुआरी कोठर की भूमि सर्वे क्रमांक 100 रकबा 0.61 एकड पर आवेदक का नाम विलोपित करते हुये वर्ष 1963-64 के पूर्व की स्थिति में मध्य प्रदेश शासन शासकीय रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण क्रमांक 391/2007-08 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 24-9-2008 से निगरानी निरस्त की। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि आवेदक उक्त भूमि का 43 वर्ष से भूमि स्वामी दर्ज चला आ रहा है और भूमि पर उसका कब्जा भी है। लम्बे

अंतराल वाद स्वमेव निगरानी की शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। गैर निगरानीकर्तागण ने गलत आवेदन दिया है कि मौके पर रास्ता है मौके पर कोई रास्ता नहीं है। कलेक्टर सतना के समक्ष समस्त दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये गये थे कि वाद विचारित भूमि 1963-64 से आवेदक को मिली है कलेक्टर का दायित्व था कि वह रिकार्ड मंगाकर पुष्टिकरण करते, किन्तु उन्होंने बिना अभिलेख देखे आदेश पारित किया है। वाद विचारित भूमि आवेदक के पिता एंव उनके पिता को व्यवस्थापन व्दारा प्राप्त है जिसका पुष्टिकरण कलेक्टर सतना ने नहीं किया है। उन्होंने कलेक्टर एंव अपर आयुक्त के आदेश गलत बताते हुये निगरानी स्वीकार करने की प्रार्थना की।

गैर निगरानीकर्तागण के अभिभाषक का तर्क है मौजा दुआरी कोठार की भूमि सर्वे कमांक 100 आम नागरिकों के रास्ते के उपयोग की है आवेदक ने राजस्व विभाग के कर्मचारियों से मिलकर गलत ढंग से बिना सक्षम आदेश के खसरा प्रविष्टि कराई है जो फर्जी है एंव जांच में फर्जी खसरा प्रविष्टि पाने के कारण कलेक्टर सतना को अभिलेख से पुष्टिकरण उपरांत जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। कलेक्टर सतना ने आदेश दिनांक 8-7-2008 से आम रास्ते की भूमि सार्वजनिक हित में पुनः शासकीय अंकित की है इसलिये अपर आयुक्त ने भी कलेक्टर के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया हे। उन्होंने निगरानी निरस्त करने की मांग रखी।

5/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि वर्ष 1963-64 से वाद विचारित भूमि आवेदक के नाम दर्ज है। लम्बे अंतराल वाद स्वमेव निगरानी की शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। विचार योग्य है कि क्या कलेक्टर सतना ने लम्बे अंतराल के वाद स्वमेव निगरानी शक्तियों का उपयोग किया है। वाद विचारित भूमि के सम्बन्ध में कलेक्टर सतना के समक्ष वर्ष 2007 में अनावेदक क-1 व्दारा की गई शिकायत के आधार पर यह तथ्य अभिज्ञान में आया है कि वाद विचारित भूमि शासकीय रास्ते की है जो आवेदक के नाम गलत ढंग से खसरे में लिखी गई है और इस तथ्य के प्रथमवार अभिज्ञान में आने पर कलेक्टर सतना ने दिनांक 5-9-17 को स्वमेव निगरानी प्रकरण पॅजीबद्व करते हुये कार्यवाही प्रारंभ की है।

1. **भेरूलाल विरूद्ध किशनलाल 1990 रा0नि0 30 (उच्च न्यायालय) का न्याय दृष्टांत है कि स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण करने में परिसीमा का बर्जन नहीं है।**
2. **श्रीमती छोटीवाई विरूद्ध मध्य प्रदेश राज्य 2009 रा0नि0 357 (उच्च न्यायालय) का न्याय दृष्टांत है कि गलत प्रविष्टियों के बारे में सूचना अभिप्राप्त होने के तुरन्त वाद पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग किया गया, इसे विलम्बित नहीं कहा जा सकता।**
3. **श्रीमती रामरती विरूद्ध मध्य प्रदेश राज्य 2013 रा.नि. 390 (उच्च न्यायालय) का न्याय दृष्टांत है कि समस्त मानकों से वाहर पारित आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करने में परिसीमा का प्रश्न नहीं है।**

स्पष्ट है कि कलेक्टर सतना व्दारा उनके अभिज्ञान में आने के वाद स्वमेव निगरानी दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ करने में त्रृटि नहीं की है।

6/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि वर्ष 1963-64 से वाद विचारित भूमि आवेदक के नाम है और वह इस भूमि का भूमिस्वामी है। विचार योग्य है कि क्या शासकीय रास्ता दर्ज भूमि एंव संहिता की धारा 237 सहपठित 234 के अंतर्गत सार्वजनिक हित में सुरक्षित रखी गई रास्ते की भूमि किसी व्यक्ति विशेष के नाम आवंटित हो सकती है ? मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 234 की टिप्पणी (ओ) में अंकित है कि :-

धारा 234 की टिप्पणी (ओ) - निस्तार पत्रक की प्रविष्टि का प्रभाव - निस्तार पत्रक में जिस भूमि को किसी विशेष प्रयोजन के लिये उपयोग किए जाने की प्रविष्टि हो उसे केवल उसी प्रयोजन के लिये प्रयोग में लाया जा सकता है। किसी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वह उस भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये कर सके। निस्तार पत्रक में सॅशोधन किये बिना उपयोग परिवर्तित नहीं किया जा सकता। (राजा समीर सिंह विरूद्ध अजीम बक्स 2006 रा0नि0 377 उच्च न्यायालय)

मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 की उपधारा (1) में बताया गया है कि कलेक्टर दखलरहित भूमि को क से ट तक वर्णित प्रयोजनों के लिये सुरक्षित रख सकेंगे एंव **उपधारा (3) में वर्णित है कि परन्तु उपधारा (1) में वर्णित प्रयोजनों के लिये प्रथक रखी गई भूमि किसी भी व्यक्ति को कृषि प्रयोजन के लिये व्यपवर्तित या आवंटित नहीं की जाएगी।** इसीसे स्पष्ट है कि वाद विचारित भूमि के आवंटन पर प्रतिबन्ध है तब आवेदक को कृषि प्रयोग हेतु

आवंटित होने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है और यदि काल्पनिक तौर पर मान लिया जाय कि ऐसा आवंटन हुआ भी है तब वाद विचारित भूमि शासकीय रास्ता (आम नागरिकों की सुविधार्थ आरक्षित रास्ता भूमि) ऐसा आवंटन विधि के प्रभाव से शून्यवत् है, जिसके कारण कलेक्टर सतना ने जानकारी होने के दिन से प्रकरण क्रमांक 28/2007-08 स्वमेव निगरानी पॅजीबद्ध करके पक्षकारों की सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 8-7-2008 से वादग्रस्त भूमि पूर्ववत् शासकीय रास्ते की दर्ज कराने में किसी प्रकार की त्रृटि नहीं की गई है जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने आदेश दिनांक 24-9-2008 पारित करते समय कलेक्टर के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 391/2007-08 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 24-9-2008 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर